पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1937, शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	375–382	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	397–407	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	203–218	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

24 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 278/X–1–2014–14(09)/2014 टी0सी0–श्री एम0एस0 पाल, भा0व0से0, वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून, जिनकी जन्म तिथि 26.06.1955 है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2015 के अपराह्न में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

24 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 388/X–1–2015–14(09)/2014–श्री अरविन्द कुमार वर्मा, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 07.04.1955 (सात अप्रैल सन् उन्नीस सौ पचपन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2015 के अपराह्न में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

13 मई, 2015 ई0

संख्या 975/X–1–2015–14(09)/2014–श्री घनश्याम राय, भा0व0से0, कार्ययोजना अधिकारी, तराई केन्द्रीय/पश्चिमी वन प्रभाग, हल्द्वानी, जिनकी जन्मतिथि 15.05.1955 (पन्द्रह मई सन् उन्नीस सौ पचपन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.05.2015 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

18 मई, 2015 ई0

संख्या 991/X–1–2015–04(24)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से वन संरक्षक, पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री जन्मेजय सिंह	1998	सवंर्ग में आसन्न कनिष्ठ अधिकारी की वन संरक्षक श्रेणी में प्रोन्नति की तिथि दिनांक 13.02.2013 से आभासी रूप से एवं वास्तविक प्रोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
2.	श्री अशोक	1998	–तदैव–

2. भारतीय वन सेवा के उपर्युक्त अधिकारियों को उक्त श्रेणी में आभासी तौर पर प्रोन्नति/नियुक्ति की तिथियों एवं वास्तविक रूप से प्रोन्नति/नियुक्ति की तिथियों के मध्य की अवधि के सापेक्ष बनने वाले वेतन अवशेष सम्बन्धी धनराशि (Arrears of Pay), यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा किन्तु वेतन निर्धारण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों हेतु उक्त अवधियों का लाभ नियमानुसार देय होगा।

3. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

21 मई, 2015 ई0

संख्या 538/XX(8) 2014–11(37)2006 TC(I)–श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधीन आने वाले ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन किये जाने के उद्देश्य से जनपद टिहरी गढ़वाल के लम्बगाँव में पुलिस थाना लम्बगाँव गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधीन आने वाले ग्राम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पुलिस थाना लम्बगाँव के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

जनपद टिहरी गढ़वाल के पुलिस थाना लम्बगाँव में सम्मिलित किये जाने वाले गाँवों की सूची :–

(शासनादेश संख्या 367/XX(8)2014–11(37)2006 TC(I), दिनाँक 21 मई, 2015 का परिशिष्ट)

क्र0 सं0	ग्राम का नाम		क्र0 सं0	ग्राम का नाम
1.	सौन्दी		36.	डोडग थापला
2.	दीनगांव		37.	जुलाणगांव
3.	हेरवाल गांव		38.	भरपूर
4.	घड़ियालगांव		39.	खेतपाली
5.	मुखैम		40.	गैरी ब्राहमणों की
6.	ओनालगांव पट्टी उपली रमोली		41.	भैंतला
7.	मस्ताड़ी		42.	बागी
8.	कुड़ियाल गांव		43.	कोर्दी
9.	धमंणगांव		44.	गैरी राजपूतों की
10.	पोखरी पट्टी उपली रमोली		45.	हलैथ
11.	सदड़गांव		46.	सिलारी
12.	रैका		47.	गोलाणी
13.	महरगांव		48.	वण कुण्डाली
14.	सिलोडा		49.	लिख्वारगांव
15.	खुरमौला		50.	कोटल गांव
16.	घोडपुर		51.	आबकी
17.	मुखमालगांव		52.	मंजखेत
18.	डांगी		53.	कुड़ी
19.	गरवाणगांव		54.	भरपुरिया गांव
20.	खम्माखाल		55.	सौड़
21.	सिरवानी		56.	बरवाल गांव
22.	मौल्या		57.	पुजारगांव
23.	बैल्डोगी		58.	गढ सिनवाल गांव
24.	बुडकोट		59.	तिनवाल गांव
25.	पण्डणगांव		60.	वन्याणी
26.	कण्डियाल गांव		61.	पोखरी पट्टी भदूरा
27.	विजपुर		62.	खलडगांव
28.	चिनियाली सैरा		63.	खिट्टा
29.	नौघर		64.	गल्याखेत
30.	पिपलोगी		65.	रौणिया
31.	कफलना		66.	ओनलगांव पट्टी भदूरा
32.	रावतगांव		67.	पोखरियाल गांव
33.	नग		68.	जिवाला
34.	पनियाला ल्वार्खा		69.	बौसांडी
35.	पुजारगांव		70.	सुजडगांव

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्र0 सं0	ग्राम का नाम
71.	जमुण्डागांव	99.	मोटण
72.	क्यारी	100.	नकोट
73.	जाखणी	101.	ग्वाड़
74.	शुक्री	102.	चौघार
75.	भुर्क्या	103.	तिमली चक
76.	पणसूत	104.	चांठी
77.	कुडियाल गांव	105.	ओखला
78.	खरौली	106.	झिंवाली
79.	रमोल गांव	107.	काणीगाड
80.	देवल	108.	बनाली
81.	कुराण	109.	मरोडा चक
82.	मांजधू	110.	कोठगा
83.	सिलवाल गांव	111.	बसेली
84.	मोल्गा	112.	सकन्याणी चक
85.	डांग	113.	काण्डा
86.	मेलून्ता	114.	पड़िया
87.	मिश्रवाण गांव	115.	रौणिया
88.	थाला	116.	भेनगी
89.	खेत	117.	कोलधार
90.	घोल्डियाणी	118.	रौलाकोट
91.	दुलियाव	119.	हटवाल गांव
92.	खोलगढ़ वल्ला	120.	सेम
93.	खोलगढ़ तल्ला	121.	पुनसाडा
94.	प्रतापनगर	122.	गडोली
95.	बिराड़ी चक्र	123.	पथियाणा
96.	गोदड़ी मय क्यार्की	124.	डोभ रमोली
97.	भैंगा	125.	रामपुर
98.	जणगी	126.	कंगसाली

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवा अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

23 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 468/VIII/02(ई0एस0आई0)/2006–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ऐलोपैथिक चिकित्साधिकारी (पुरुष/महिला) के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा वर्ष 2014–15 में किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद पर अस्थाई रूप से

नियुक्त करते हुए निम्नवत् तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डा0 विजय जोशी	नैनीताल	विजय जोशी पुत्र श्री एल0डी0 जोशी, गोपाल सदन, लोहरियाशालतल्ला नियर ऊँचापुल, पो0 कठघरिया, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	विजय जोशी पुत्र श्री एल0डी0 जोशी, गोपाल सदन, लोहरियाशालतल्ला नियर ऊँचापुल, पो0 कठघरिया, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	क0रा0बी0औ0, काशीपुर
2.	डा0 वन्दना सोनाल	पिथौरागढ़	श्रीमती वन्दना सोनाल, ग्राम–सौन, पो0 दुग्तू, तहसील–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़	श्रीमती वन्दना सोनाल, 19 अम्बे आवास, कश्मीरी कोठी, कर्मचारी नगर, पो0 सैयदपुर हाकिनेस, बरेली	क0रा0बी0औ0, रानीपुर मोड, हरिद्वार

उपरोक्तवत् सूची में दर्शाये गये चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी :–

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में दर्शाये गये स्थान पर तैनात किया जाता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी।

(2) अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(3) नियुक्त किये जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सक (ऐलोपैथिक) प्राइवेट प्रेक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(4) नियुक्त चिकित्साधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (7) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा–पत्र (दस रुपये का स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियां।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अण्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपर्युक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूं के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थायी निवासी एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां, उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

आज्ञा से,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

19 मई, 2015 ई0

संख्या 743/III(1)/15–100(अधि0)/09–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता (वि0यां0) को नियमित चयनोपरान्त उनके कनिष्ठ श्री संजीव कुमार की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 31.12.2009 से अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600, के पद पर नोशनल रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) के पद पर नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रमोद कुमार को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

3. उपरोक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी को ऐरियर देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

22 मई, 2015 ई0

संख्या 818/IV(3)/2015–57(सा0)/2006–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 12–क, सपठित धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी के वार्ड संख्या–04, नेतानगर (आरक्षण की श्रेणी अनारक्षित), सदस्य पद/स्थान पर निर्वाचित सदस्य मौ0 युसूफ की अध्यापक के पद पर नियुक्ति होने के कारण स्थानीय निकायों में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2013 के पश्चात् आकस्मिक रूप से रिक्त हुए सदस्य के पद को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 मई, 2015 ई0

संख्या 459/2015/32(100)/XXVII(8)/01–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2013–14 में वाणिज्य कर अधिकारी, वेतनमान ₹ 9,300–34,800+ग्रेड वेतन ₹ 4,600, के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–06/38/ई–1/डी0पी0सी0/2014–15, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों के अनुसार नियमित चयनोंपरान्त निम्नांकित कार्मिकों को पदोन्नत करते हुये नियमानुसार दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता हैं:–

क्र0 सं0	नाम
1.	कु0 इन्दु महाजन
2.	श्रीमती गीता वर्मा
3.	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे
4.	श्री रमेश चन्द्र डबराल
5.	श्री धर्म सिंह रावत
6.	श्री राजेश कुमार
7.	श्री अनिल कुमार विष्णोई
8.	श्री बृजमोहन जोशी
9.	श्री पी0डी0 सत्ती
10.	श्री सुशील चन्द्र नौडियाल
11.	श्री ललित मोहन डिमरी
12.	श्री सुधीर कुमार चन्दोला
13.	श्री ललित प्रसाद पुरोहित
14.	श्री शैलेन्द्र कुमार जोशी
15.	श्री कमलेश कुमार
16.	श्री राजीव अग्रवाल
17.	श्रीमती अमिता गोयल
18.	श्री नरेन्द्र सिंह खाती
19.	श्री हरीश चन्द्र जोशी

2. उक्त पदोन्नति आदेश में अधिकारियों के क्रम का ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. विभागीय एवं राजस्व हित में उक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत भी किया जाता है।

भास्करानन्द,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

05 मई, 2015 ई0

संख्या 3675/II–2015–01(440)/2012–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रेमलाल, सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011, श्री गोपाल सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

4. उक्त पदोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
किशन नाथ,
अपर सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

कार्यभार प्रमाणक

15 मई, 2015 ई0

संख्या 459/xii-ii/2015–प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन की प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या–1220/पदों/14/XXX!(1)/2014, दि0 15.05.2015, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के क्रम में, कृषि एवं विपणन, अनुभाग–2 में अनुभाग अधिकारी का पदभार आज दिनांक 15.05.2015 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

ऋषिराम सेमवाल,
अनुभाग अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित,
सविन बंसल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/304–भाग–1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 21, 2015

No. 127/UHC/XIV/54/Admin.A/2012--Sri Ashok Kumar, the then Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 10.02.2014 to 22.02.2014 with permission to prefix 08.02.2014 & 09.02.2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 23.02.2014 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 21, 2015

No. 128/UHC/XIV/26/Admin.A/2008--Sri Manindra Mohan Poandey, the then 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun, presently posted as Additional Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 23.03.2015 to 04.04.2015 with permission to prefix 22.03.2015 as Sunday and to suffix 05.04.2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 18, 2015

No. 171/UHC/XIV-a-30/Admin.A/2012--Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 27.04.2015 to 07.05.2015 with permission to prefix 26.04.2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 25, 2015

No. 178/UHC/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, the then Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, presently posted as Assistant Director, Uttarakhand Judical & Legal Academy (UJALA), Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 34 days *w.e.f.* 13.04.2015 to 16.05.2015 with permission to prefix 11.04.2015 as second Saturday, 12.04.2015 as Sunday and to suffix 17.05.2015 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर

कार्यालय आदेश

10/11 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 230/टी0आर0/कर–पंजीयन/UA06B–6195–वाहन संख्या UA06B–6195, मॉडल 2004, चेसिस नं0 MA1LB2FEF33L54570, इंजन नं0 A3L12842, इस कार्यालय में श्री हरी सिंह पुत्र श्री हेतराम, निवासी पतरामपुर, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 10.02.2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है, जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है, वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, काशीपुर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06B–6195 (थ्री–व्हीलर) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), काशीपुर।

कार्यालय, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार

कार्यालयादेश

24 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 347/टी0आर0/UA08J–2745/2015–वाहन संख्या UA08J–2745, विक्रम, मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 004999 तथा इंजन नं0 A6K53188 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 31.03.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08J–2745, विक्रम का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

24 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 348/टी0आर0/UP08–2057/2015–वाहन संख्या UP08–2057, भार वाहन टाटा–407, मॉडल–2006, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 357011812481 तथा इंजन नं0 497SP21527311 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 31.12.2014 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP08–2057, भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

28 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 349/टी0आर0/UK08TA–463/2015–वाहन संख्या UK08TA–463, टैक्सी कैब, मॉडल–2009, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 MA1LSRFJH8ZL30614 तथा इंजन नं0 D036330 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 16.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA–463, टैक्सी, मॉडल 2009 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 350/टी0आर0/UP08–4831/2015–वाहन संख्या UP08–4831, भार वाहन, मॉडल–1997, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 359073ESQ114986 तथा इंजन नं0 697D30FSQ525925 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 31.10.2014 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP08–4831, भार वाहन, मॉडल 1997 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 351/टी0आर0/UK08TA–1078/2015–वाहन संख्या UK08TA–1078, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2009, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 5L02090011 तथा इंजन नं0 R9L2723165 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 24.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA–1078, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2009, का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 352/टी0आर0/UP01–3194/2015–वाहन संख्या UP01–3194, भार वाहन, मॉडल–1996, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 365073KTQ129195 तथा इंजन नं0 697D30KTQ151602 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30.12.2014 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP01–3194, भार वाहन, मॉडल–1996 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 353/टी0आर0/UA08H–9473/2015–वाहन संख्या UA08H–9473, विक्रम टैम्पो, मॉडल–2006, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 004488 तथा इंजन नं0 A6A44542 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 27.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08H–9473, विक्रम टैम्पो, मॉडल–2006 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 मई, 2015 ई0

पत्रांक 355/टी0आर0/UP–10D–7195/2015–वाहन संख्या UP–10D–7195, डिलवरी वैन, मॉडल–2000, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 062047 तथा इंजन नं0 RF79320 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 06.05.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP–10D–7195, डिलवरी वैन, मॉडल–2000 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 मई, 2015 ई0

पत्रांक 356/टी0आर0/UA08E–9296/2015–वाहन संख्या UA08E–9296, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 092420 तथा इंजन नं0 56211 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 06.05.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08E–9296, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2005 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 मई, 2015 ई0

पत्रांक 357 / टी0आर0 / UA08K–3056 / 2015–वाहन संख्या UA08K–3056, ऑटो, मॉडल–2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KEMPL2993E07 तथा इंजन नं0 R6L0321442 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 17.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08K–3056, ऑटो, मॉडल–2007 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 मई, 2015 ई0

पत्रांक 358 / टी0आर0 / UA08K–3372 / 2015–वाहन संख्या UA08K–3372, विक्रम, मॉडल–2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 006892 तथा इंजन नं0 A7G0107527 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 16.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08K–3372, विक्रम टैम्पो, मॉडल–2007 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

08 मई, 2015 ई0

पत्रांक 359 / टी0आर0 / HR58–2550 / 2015–वाहन संख्या HR58–2550, भार वाहन, मॉडल–1997, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 360324DSQ713767 तथा इंजन नं0 697D23DSQ746567 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 28.04.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 HR58–2550, भार वाहन, मॉडल–1997 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

08 मई, 2015 ई0

पत्रांक 360 / टी0आर0 / UA08E–9259 / 2015–वाहन संख्या UA08E–9259, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KRTKP009285L05 तथा इंजन नं0 R4M42483 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 31.03..2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08E–9259, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2005 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

12 मई, 2015 ई0

पत्रांक 361/टी0आर0/UK08TA–0081/2015–वाहन संख्या UK08TA–0081, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 963099J7 तथा इंजन नं0 R7J0436348 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 11.05.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA–0081, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2007 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

13 मई, 2015 ई0

पत्रांक 362/टी0आर0/UA08C–9758/2015–वाहन संख्या UA08C–9758, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2004, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 7877F4 तथा इंज़न नं0 R4F85552 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 12.05.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08C–9758, ऑटो रिक्शा, मॉडल–2004 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 मई, 2015 ई0

पत्रांक 363/टी0आर0/UA08C–9826/2015–वाहन संख्या UA08C–9826, डिलेवरी वैन, मॉडल–2004, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 091989 तथा इंजन नं0 A4G52963 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 13.05.2015 में समर्पण कराये गये है तथा वाहन को कबाड़ी को विक्रय कर नष्ट कर दिये जाने के कारण वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08C–9826, डिलेवरी वैन, मॉडल–2004 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 मई, 2015 ई0

पत्रांक 364/टी0आर0/UA08H–9617/2015–वाहन संख्या UA08H–9617, ऑटो रिक्शा विक्रम, मॉडल–2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 447X005649XAY तथा इंजन नं0 A6M63008 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 12.05.2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय, सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये, वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0UA08H–9617, ऑटो रिक्शा विक्रम, मॉडल–2007 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 मई, 2015 ई0

पत्रांक 365/टी0आर0/UK08P–6120/2015–वाहन संख्या UK08P-6120, मो0 कार, मारूती स्वीफ्ट, मॉडल–2009, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 MA3EKE41S00471660 तथा इंजन नं0 G13BBN516938 है। वाहन के एक्सीडेंट में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के प्रपत्र बीमा कम्पनी के द्वारा अपने नाम हस्तान्तरण कराकर प्रपत्र कार्यालय में दि0 29.08.2013 में समर्पण कराये गये हैं। बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के पंजीयन चिन्ह/पंजीयन पुस्तिका निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08P–6120, मो0 कार, मारूती स्वीफ्ट, मॉडल–2009 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 मई, 2015 ई0

पत्रांक 366/टी0आर0/UK08TA–3536/2015–वाहन संख्या UK08TA–3536, टैक्सी, टाटा इण्डिको, मॉडल–2012, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 MAT607146CWE28643 तथा इंजन नं0 475IDT14EXYP31158 है। वाहन के दिनांक 10.06.2013 में बासवाड़ा, जनपद रूद्रप्रयाग में एक्सीडेंट में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के प्रपत्र बीमा कम्पनी के द्वारा अपने नाम हस्तान्तरण कराकर प्रपत्र कार्यालय में दि0 03.04.2014 में समर्पण कराये गये हैं। बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के पंजीयन चिन्ह/पंजीयन पुस्तिका निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA–3536, टैक्सी, टाटा इण्डिको, मॉडल–2012 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 मई, 2015 ई0

पत्रांक 367/टी0आर0/UK08TA–3533/2015–वाहन संख्या UK08TA–3533, टैक्सी, टाटा इण्डिको, मॉडल–2012, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 MAT607146CWB14978 तथा इंजन नं0 475IDT14BXYP14220 है। वाहन के दिनांक 17.06.2013 में चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी में एक्सीडेंट में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के प्रपत्र बीमा कम्पनी के द्वारा अपने नाम हस्तान्तरण कराकर प्रपत्र कार्यालय में दि0 20.02.2014 में समर्पण कराये गये हैं। बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के पंजीयन चिन्ह/पंजीयन पुस्तिका निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA–3533, टैक्सी, टाटा इण्डिको, मॉडल–2012 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

19 मई, 2015 ई0

पत्रांक 368/टी0आर0/UP11A–6935/2015–वाहन संख्या UP11A–6935, डी0सी0एम0, मिनी ट्रक, मॉडल–1993, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 BU88–8010385 तथा इंजन नं0 14B1280194 है। वाहन के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त एवं संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 15.05.2015 में समर्पण किये हैं तथा कबाड़ी को वाहन विक्रय करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP11A–6935, डी0सी0एम0, मिनी ट्रक, मॉडल–1993 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

मनीष तिवारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हरिद्वार।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

22 मई, 2015 ई0

पत्रांक 2105/टी0आर0/पंजी0नि0/UP06–2125/2015–वाहन संख्या UP06–2125, मॉडल 1995, चेसिस संख्या 359357DUQ108700 तथा इंजन नं0 697D28DUQ113173, कार्यालय में श्री अंकुश अरोरा पुत्र श्री इन्दर लाल, निवासी राजा ट्रान्सपोर्ट, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 04.05.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.05.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या वाहन संख्या UP06–2125 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359357DUQ108700 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

22 मई, 2015 ई0

पत्रांक 2106/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AD–1775/2015–वाहन संख्या UK06AD–1775, मॉडल 2014, चेसिस संख्या ME121C0L3E2004223 तथा इंजन नं0 21CL004076, कार्यालय में श्री विपिन सिंह पुत्र श्री रिषपाल सिंह, निवासी ग्राम सुनखरीकला, तहसील सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.05.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या वाहन संख्या UK06AD–1775 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या ME121C0L3E2004223 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

परिपत्र

22 मई, 2015 ई0

पत्रांक 988/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0 क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या विधि–29/(04–05) परिपत्र/2005–2006/1074/विधि–अनुभाग, दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं परिपत्र संख्या 1595/आयु0क0 उत्तरां0/वाणिज्यकर/विधि–अनुभाग/देहरादून/2005–06, दिनांक 11 अगस्त, 2005 द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में, जो उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिये उत्तर प्रदेश से होकर परिवहन किया जाता है परन्तु उस माल के उत्तर प्रदेश में कर मुक्त होने के कारण अथवा अन्य कारण से उत्तर प्रदेश में उसकी बहती जारी/खारिज नहीं की जाती है, ऐसे माल के उत्तराखण्ड में परिवहन पर सम्बन्धित बिल/कैश मेमो/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प को प्रयोग

करने की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.03.2013 को जाँच चौकियों के समाप्ति के उपरान्त परिपत्र संख्या 4965/आयु0क0उत्तरा0/वा0क0/प्र0अनु0/2012—13/देहरादून, दिनांक 26 फरवरी, 2013 से उपरोक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन किया गया था।

उत्तराखण्ड में अवस्थित ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माताओं) द्वारा उत्तराखण्ड के ईंट भट्टों के फर्जी चालान/बिल पर अवैध रूप से ईंटें परिवहन किये जाने को रोकने के क्रम में राज्य के ईंट भट्टा व्यवसायियों को राज्य के भीतर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड) ईंट का परिवहन करने पर ओ0सी0 स्टैम्प अनिवार्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश से होकर परिवहन किये जा रहे माल के सम्बन्ध में उपरोक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के अतिरिक्त राज्य के भीतर ईंट निर्माताओं द्वारा ईंट का परिवहन करने पर ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :—

1. उत्तराखण्ड के ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माता इकाइयों) द्वारा राज्य के भीतर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड), उत्तर प्रदेश को गलियारा (corridor) के रूप में प्रयोग नहीं करने पर भी, ईंट का परिवहन करने की दशा में सम्बन्धित बिल/कैश मीमो/चालान पर अनिवार्य रूप से ओ0सी0 स्टैम्प का प्रयोग किया जायेगा

2. ओ0सी0 स्टैम्प दो प्रतियों में (जिसमें एक कार्यालय प्रति होगी) व्यापारी को जारी किये जायेंगे। जारी किये जाने वाले स्टैम्प्स की संख्या एवं क्रम संख्या, कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर स्पष्ट रूप से दर्ज की जायेगी।

3. ईंट भट्टा व्यवसायी/वाहन चालक, दो प्रतियों में बिल/कैश मीमों/चालान लेकर परिवहन करेगा, जिसमें से एक प्रति (मूल प्रति से भिन्न) पर ईंट निर्माता द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प इस प्रकार चिपकाया जायेगा, जिससे वह निकले नहीं। ओ0सी0 स्टैम्प पर व्यापारी द्वारा वाहन संख्या, बिल संख्या एवं तिथि तथा व्यापारी का नाम व पता अवश्य लिखा जायेगा।

4. ओ0सी0 स्टैम्प की "कार्यालय प्रति" व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी जिस पर व्यापारी द्वारा वाहन संख्या, बिल संख्या एवं तिथि तथा व्यापारी का नाम व पता लिखा जायेगा।

5. यदि माल (ईंट) के परिवहन के समय सचल दल अधिकारी द्वारा इस प्रकार के वाहनों की जाँच की जाती है तो वह बिल/कैशमीमो/चालान, जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा किया गया हो, को रोक लेगा तथा बिल की दूसरी प्रति पर ओ0सी0 स्टैम्प का पूर्ण क्रमांक एवं उस पर अपनी मोहर व दिनांकित हस्ताक्षर सहित समय अंकित करते हुये व्यापारी/वाहन चालक को देगा।

6. सचल दल अधिकारी, रोके गये बिल/कैश मीमो/चालान, जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा किया गया है, को अन्य बिलों के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा कर निर्धारण कार्यालय उन बिलों को संकलित करते हुये सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावली पर दर्ज करते हुये, पत्रावलित करेंगे।

7. उपरोक्त प्रकार के मामलों में जिन बिलों की सचल दल अधिकारी द्वारा जाँच नहीं की गयी है, उन्हें सम्बन्धित व्यापारी को कार्यालय में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. यदि विभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार के वाहनों की जाँच करने पर यह पाया जाता है कि ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माता इकाइयों) द्वारा उक्त प्रकार ईंट का परिवहन करते समय वाहन में लदे माल (ईंट) से सम्बन्धित बिल/कैश मीमो/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

9. कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक बार ओ0सी0 स्टैम्प जारी करते समय पूर्व प्रयोग किये गये ओ0सी0 स्टैम्प का विवरण व्यापारी से प्राप्त करेंगे और प्रयुक्त किये गये ओ0सी0 स्टैम्प से सम्बन्धित बिलों द्वारा प्रदर्शित बिक्री के अनुसार निर्णय लेंगे।

उपरोक्त निर्देश दिनांक 01.06.2015 से लागू होंगे, जिनका कड़ाई से पालन करना सूनिश्चित किया जाए।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि चुनावालय), हरिद्वार

सूचना

29 मई, 2015 ई0

संख्या 84/त्रि0पंचा0निर्वा0–2015/2015–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 234/रा0नि0आ0अनु0–2/1909/2015, देहरादून, दिनांक 26.05.2015 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2011 के पश्चात् विभिन्न कारणों से जनपद हरिद्वार में प्रधान, ग्राम पंचायत, सदस्य, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निर्वाचन/उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना है। अतः, मैं, एच0सी0 सेमवाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त प्रधान, ग्राम पंचायत, सदस्य, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों का निर्वाचन निम्नानुसार विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान की दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
05.06.2015 एवं 06.06.2015 (पूर्वान्हः 10:00 बजे से अपरान्हः 17:00 बजे तक)	08.06.2015 (पूर्वान्हः 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	09.06.2015 (पूर्वान्हः 10:00 बजे से अपरान्हः 13:00 बजे तक)	10.06.2015 (पूर्वान्हः 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	17.06.2015 (पूर्वान्ह 8:00 बजे से अपरान्हः 17:00 बजे तक)	19.06.2015 (पूर्वान्हः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उक्त उपनिर्वाचन (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) {उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित हैं इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन–पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जायेगी।

एच0सी0 सेमवाल,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), हरिद्वार।

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,पंचायत, हरिद्वार

विज्ञप्ति

29 मई, 2015 ई0

संख्या 85/त्रि0पंचा0निर्वा0–2015–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून, अधिसूचना संख्या 234/रा0नि0आ0अनु0–2/1909/2015, देहरादून, दिनांक 26.05.2015 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2011 के पश्चात् कतिपय ग्राम पंचायतों के सदस्य, ग्राम पंचायत एवं प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी पदों/स्थानों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता दिनांक 26.05.2015 से दिनांक 19.06.2015 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावी की जाती है।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2015 के रिक्त पदों की सूचना

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदनाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी
1.	बहादराबाद	रसूलपुर मीठी बेरी	प्रधान	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	पि0जा0 महिला
		कटारपुर अलीपुर	ग्रा0 पं0 सदस्य	09	अनारक्षित
2.	लक्सर	रामपुर रायघटी	ग्रा0 पं0 सदस्य	04	अनु0 जा0
3.	नारसन	गाधारोणा	ग्रा0 पं0 सदस्य	12	सामान्य

बी0पी0 कोठारी,
सहायक आयुक्त/
सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय हरिद्वार।

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), हरिद्वार।

एच0सी0 सेमवाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), हरिद्वार।

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), देहरादून

विज्ञप्ति

29 मई, 2015 ई0

पत्रांक 135/त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वा0/2015–16–राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून की अधिसूचना संख्या–234/रा0नि0आ0 अनु0–2/1909/2015, दिनांक 26.05.2015 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचन, 2014 के पश्चात् विभिन्न कारणों से जनपद देहरादून में रिक्त प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना है। उक्त अधिसूचना के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पत्र संख्या 235/रा0नि0आ0–2/1909/1201, दिनांक 26.05.2015 द्वारा जनपद के सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिता, दिनांक 26.05.2015 से दिनांक 19.06.2014 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावी की जाती है।

रविनाथ रमन,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), देहरादून।

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

20 मई, 2015 ई0

संख्या 220/परिषद्–2806/2015–16–खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–307/VI–2/2015–37(युवा कल्याण) 2001, दिनांक 15.05.2015 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् में उपाध्यक्ष नामित किये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा आज दिनांक 20 मई, 2015 के पूर्वाह्न में उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् के पद का कार्यभार/पदभार ग्रहण कर लिया है।

सुशील राठी,
उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/304–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

06 मई, 2015 ई0

पत्रांक 252/न0पा0प0शिवा0/2015–2016–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर द्वारा अपनी सीमा अन्तर्गत या भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के अन्तर्गत अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापनों एवं पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण रखने हेतु दिनांक 18–12–2014 प्रस्तावित के द्वारा विज्ञापन शुल्क उपनियिम सर्वसम्मति से पारित कर निम्नानुसार तैयार किया गया है। उक्त विज्ञापन उपनियम के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/अन्य को किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति अथवा सुझाव हो तो वह इस उपनियम के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यदिवस में अपनी लिखित शिकायत/आपत्ति/सुझाव, कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर में प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत/आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन शुल्क उपनियम

1. यह उपनियम नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर अश्लील तथा आपत्तिजनक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली, 2014 कहलायेगी।
2. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिंग, साईनबोर्ड, दिवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये या चौक से बनाये गये/लिखे गये एवं एक कट आउट, चलचित्र पर, केबिल द्वारा विज्ञानों से है, जो नगर पालिका परिषद् के क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।
3. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढाँचे से है, जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो।

4. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर या ढाँचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग आदि बिना नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नहीं लगायेगा।

5. उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगाः–

(अ) ऐसा विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये जायं।

(ब) ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड, जो किसी स्थानीय व्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो।

(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की विषय–भाषा आदि की जाँच करने के पश्चात् संस्तुति करेंगे कि विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बातें या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नहीं किया गया है। इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझें तो अनुमति दे या न दें अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दें। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

इन उपनियमों में दी जाने वाली निगमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगाः–

1.	1 फुट×1 फुट से 6 फुट×6 फुट तक साईज के होर्डिंग/बोर्ड	₹ 200	वार्षिक
2.	6 फुट×6 फुट से 12 फुट×10 फुट तक साईज के होर्डिंग/बोर्ड	₹ 400	वार्षिक
3.	12 फुट×10 फुट से 20 फुट×10 फुट तक साईज के होर्डिंग/बोर्ड	₹ 800	वार्षिक
4.	12 फुट×10 फुट से 40 फुट×10 फुट तक साईज के होर्डिंग/बोर्ड	₹ 1,500	वार्षिक
5.	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले 20 फुट×20 फुट	₹ 2,000	वार्षिक
6.	दीवारों पर की जाने वाली पेन्टिंग विज्ञापन प्रति वर्ग मी0	₹ 20	प्रति माह

7.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 2×2 फुट तक होर्डिंग/बोर्ड प्रति पोल	₹	10	प्रति माह
8.	बैनर कपड़े का (प्रति बैनर)	₹	100	प्रति माह
9.	लकड़ी/लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर गेट बनाने/लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि से	₹	250	प्रति गेट प्रति दिन
10.	अन्य विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	₹	2,000	प्रति विज्ञापन
11.	बैलून/गुब्बारे पर विज्ञापन प्रतिदिन	₹	100	प्रति दिन

प्रतिबन्ध यह है कि कुम्भ मेला अथवा अर्धकुम्भ मेला पड़ने वाले वर्ष में विज्ञापन शुल्क दो गुना होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कम से कम 25 विज्ञापनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की आज्ञा दी जायेगी। जिसका शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

8. नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन कहीं पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते हैं और उसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटवाने के एक माह के अन्दर होर्डिंग वापस करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत न करे तो विज्ञापन हटाने से एक माह बाद होर्डिंग/साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते हैं।

9. उपनियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिकों, प्रबन्धकों, एजेण्टों या उनके कारिन्दों, जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा।

10. नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्य सम्बन्धी विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

11. नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर बोर्ड उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकती है, जिसके लिए फर्मों/व्यक्तियों/ऐजेण्टों से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर/अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।

12. नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तों एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर/होर्डिंग अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कहीं पर लगा दिया जाता है तो नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर उक्त विज्ञापन के हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप में विज्ञापन किराये के 05 गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा, दूसरी बार उक्त अपराध उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराये के 10 गुना शुल्क भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

एलम दास,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार।

कृष्ण कुमार मिश्र,
प्रभारी अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

06 मई, 2015 ई0

पत्रांक 253/न0पा0प0शिवा0/2015–2016–नगरपालिका परिषद्, शिवालिक नगर सीमान्तर्गत उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298,(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि 2014–15" बनायी गयी है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर को प्रेषित की जा सकेगी। बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि 2014–15"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि 2014–15" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर से है;

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर की सीमाओं से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से हैं;

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त प्रभावी) संशोधन से है;

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 व धारा 141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है;

(ज) "सम्पत्ति/भवनकर" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है;

(झ) "समिति" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 के अन्तर्गत गठित समिति से है;

(ए) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है;

(फ) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है;

(ब) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. वार्षिक मूल्यांकन–नगर पालिका परिषद सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 142(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगरपालिका द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों चाहें वे सदस्य हों, या न हों अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नियमानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन–निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल से लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजना के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थित, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थित ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात), जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये के 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगरपालिका का राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर, जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

1. वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

(i) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और मण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

2. उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिये किसी भवन मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3. सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौका पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थित के अनुसार किया जायेगा।

4. भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगेः–

(क) मन्दिर, गुरूद्वारे, मस्जिद अथवा दूसरी धार्मिक संस्थाएँ, जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग से किराये या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती हो, उन पर छूट के नियम लागू नहीं होंगे।

(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

(ग) नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर की समस्त सम्पत्तियाँ।

5. सम्पत्ति/भवनकर पर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक 20% की छूट प्रदान की जायेगी तथा 01 जनवरी से 31 मार्च तक जमा होने वाले गृहकर पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा 31 मार्च के पश्चात् जमा होने वाले विगत वर्ष के गृहकर पर 05% अधिभार देय होगा।

6. कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन–भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगरपालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो, वे नगरपालिका कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्लो/वार्ड द्वारा क्रम संख्या देते हुये आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

7. आपत्तियों का निस्तारण–भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगाः–

   (i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

   (ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

   (iii) शासनादेश सं0 2054/नौ–9–97–79ज/97, दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

8. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा–

   (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

   (ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगरपालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा।

   (ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये, वैसे ही निरीक्षकरण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी।

   (घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुये नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

9. कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की कर निर्धारण सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण ना हो, उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

10. जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर की, जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी, जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐक्ट, 1916 की धारा 143 (3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चित उस समय तक लागू रहेगा, जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

11. (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार, जिस पर कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जाये, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी, जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकार या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

12. (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

13. उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐक्ट, 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी, जिसमें कई किरायेदार रहते हों, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर इस भाग का वार्षिक मूल्य अलग–अलग एक नोट में दर्ज किया जाये और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिये किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जाये जो कि उक्त ऐक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता, यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, नगरपालिका एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड ₹ 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो ₹ 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन तक हो सकता है।

एलम दास,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, (हरिद्वार)।

बीर सिंह बुदियाल,
प्रभारी अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, (हरिद्वार)।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार

उपनियम भवन मानचित्र

01 जून, 2015 ई0

पत्रांक 277/गजट प्रकाशन/2015–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका परिषद् ऐक्ट, 1916 की धारा 298 (2) के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करके, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार ने अपने प्रभावी क्षेत्र में लागू करने के लिए भवन निर्माण उपनियम बनाये हैं।

यह उपनियम सरकारी गजट में प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् लागू समझे जायेंगे।

उपनियम

1. कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्दर पक्का या कच्चा भवन (मकान) बिना नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार की पूर्व स्वीकृति के नहीं बना सकता और न ही परिवर्तन कर सकेगा और न ही पुनः निर्माण कर सकेगा।

2. नक्शा स्वीकृति हेतु निम्न शुल्क देय होगाः–

   (अ) नक्शा आवासीय निर्माण हेतु ₹ 1.00 (एक रुपया मात्र) प्रति वर्ग फुट,

   (ब) नक्शा व्यवसायिक निर्माण हेतु ₹ 3.00 (तीन रुपये मात्र) प्रति वर्ग फुट।

3. नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगेः–

   (क) विक्रय–पत्र/रजिस्टर्ड दान–पत्र/रजिस्टर्ड वसीयत या राज्य सरकार/मा0 न्यायालय द्वारा भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

   (ख) नक्शा जैसा कि उपनियम में वर्णित है।

   (ग) फीस प्रोजेक्शन नक्शा, यदि कोई हो।

   नोटः–यदि नक्शा अस्वीकृत कर दिया गया तो फीस शुल्क वापिस न होगा।

   (घ) नक्शा 10 फुट बराबर 01" इंच के बराबर से बनाया जायेगा। जो कि नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार से मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन (वास्तुविद) से बनवाया जायेगा। भवन मानचित्र, भूकम्परोधी एवं जलसंग्रहण का प्रबन्ध होना अनिवार्य होगा।

   (ङ) ड्राफ्ट्समैन (वास्तुविद), नगरपालिका परिषद्, शिवालिक नगर, जनपद हरिद्वार द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करेगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क ₹ 5,000.00 होगा। लाइसेन्स वित्तीय वर्ष में कभी भी लिया जा सकता हैं शुल्क पूरे वर्ष का जमा करना होगा लाइसेन्स अधिशासी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

नोटः—कच्चे भवन (मिट्टी अथवा घास–फूस से निर्मित मकान) के लिए ड्राफ्ट्समैन (वास्तुविद) से नक्शा बनवाया जाना आवश्यक नहीं होगा, केवल नजरी नक्शा ही मान्य होगा।

(1) भवन की स्थिति सीमाएं मय मालिकों के नाम व पता के साथ बिजली के खम्बों, तारों इत्यादि की स्थिति तथा निकटवर्ती सड़क की स्थिति तथा नाम।

(2) नालों, शौचालय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें स्पष्ट दिखाई जायेगी।

(3) भूमि स्थान (लेवल) मंजिलों के स्थल तथा निकटवर्ती भवनों तथा खाली जगहों का विवरण।

(4) विद्युत लाइन के नीचे कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) पवित्र स्थल से सम्बन्धित भवन के प्लॉन में 200 गज के अन्दर के सब धार्मिक भवन जैसे मन्दिर, मस्जिद आदि। धार्मिक स्थलों का मानचित्र जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(6) भवन किस लिए बनाया जा रहा है। इसका स्पष्ट उल्लेख करें (आवासीय/व्यवसायिक)।

(7) भवन का क्षेत्रफल क्या है।

(8) खिड़की, दरवाजें, रोशनदान आदि जो भवन में लगाये गये हैं, उनकी माप प्रत्येक कमरे एवं स्टोर (मंजिल) वार।

(9) भवन की छत के साथ सड़क की बाहरी और कोई छज्जा नहीं निकाला जायेगा।

(10) भवन के साथ कोई सड़क, गली तो सम्बन्धित नहीं है।

(11) भवन निर्माण की दिशाओं का विवरण।

4. प्रत्येक भवन (बिल्डिंग) में ऊपरी मंजिल, कमरों, छज्जों तथा छतों का वर्षा या अन्य प्रकार का पानी नीचे लाने हेतु पाईपों का प्रयोग अनिवार्य होगा, यह पाईप नीचे नाली से 06 इन्च की ऊँचाई से ज्यादा नहीं रहेगा तथा नाली (गटर) होना जरूरी है।

5. प्रत्येक निर्माणार्थ प्रस्तावित भवन (बिल्डिंग) के किसी भाग के ऊपर से या उसके बिल्कुल निकट से यदि बिजली का तार गुजरता है तो उस अवस्था में भवन निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जब तक कि भारतीय विद्युत अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत तारों को वहां से हटा न दिया जाये अथवा उसकी रक्षार्थ कोई कार्य न कर दिया जाये।

6. यदि निर्माण भवन (बिल्डिंग) मनुष्यों के रहने हेतु निर्माण किया जा रहा है अथवा उसके किसी भाग में मनुष्यों के निवास की आवश्यकता पड़े तो ऐसी दशा में भवन (बिल्डिंग) में एक या उससे अधिक शौचालय का इन्तजाम किया जायेगा।

7. शौचालय, मूत्रालय अथवा अन्य गन्दा पानी का गड्ढा, रसोई घर व रहने वाले कमरे से 15 फुट की दूरी पर बनाया जायेगा।

8. किसी शौचालय, मूत्रालय का दरवाजा सड़क की ओर नहीं रखा जायेगा।

9. रसोई घर की चिमनी रिहायशी मकानों की बन्द न करें, इसलिये सबसे ऊपरी छत पर निकाली जायेगी।

10. सभी आवासीय भवनों का यदि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक न हो तो एक चौथाई स्थान खाली छोड़ा जायेगा, इस पर छत नहीं डाली जायेगी और ऐसी अवस्था में जब क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक हो तो एक तिहाई स्थान खाली छोड़ा जायेगा अर्थात् इस पर छतदार मकान नहीं बनाया जायेगा।

11. भवन में रोशनदान और खिड़की का यथासम्भव प्रबन्ध किया जायेगा, लेकिन इस कारण से किसी पड़ोसी की भूमि को नहीं दबाया जा सकता और खिड़की पड़ोसी की अनुमति से ही तथा 06 फुट से ऊपर रोशनदान हर हालत में बनाया जा सकता है।

12. मकान का चबूतरा सड़क से कम से कम 01 फूट ऊँचा होगा किसी भी अवस्था में इससे नीचे मकान के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

13. किसी भी हालत में प्रथम मंजिल 12 फुट और दूसरी मंजिल 10 फुट से कम नहीं होगी, ऊँचाई का अर्थ फर्श से छत की निचली सतह के बीच की ऊँचाई से है।

14. सामान्य तथा 04 मंजिल तक का भवन (बिल्डिंग) के नक्शे कमेटी पास कर सकती हैं, जिसकी ऊँचाई 40 फुट से ज्यादा न हो, इससे ऊँची बिल्डिंग (भवन) की अनुमति अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिफारिश पर ही कमेटी दे सकती है।

उपरोक्त के साथ प्रबन्ध यह है कि यदि सड़क नालों को मिलाकर 15 फुट से 30 फुट के बीच है तो तीन मंजिल की अनुमति प्रदान की जा सकती है। 30 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर 04 मंजिल की आज्ञा दी जायेगी।

यदि कोई भवन दो या इससे अधिक गलियों से मिला हो तो मकान की सबसे चौड़ी सड़क पर ही स्थित माना जायेगा और दरवाजा चौड़ी सड़क पर ही लगाया जायेगा।

15. (अ) कमरे कम से कम 80 वर्ग फुट क्षेत्रफल का होगा और चौड़ाई कम से कम 08 फुट की होगी।

(ब) कमरे के दरवाजों तथा अन्य रोशनदान आदि का क्षेत्रफल कमरे से क्षेत्रफल का कम से कम 1/10 होगा तथा यह सीधे बाहर की हवा से मिले होंगे।

16. यदि यह आवश्यक हो जाये कि कोई ऐसी खिड़की दरवाजा या अन्य रोशनदान इस तरफ खोला जाये अथवा अन्य कारण से आवश्यक एवं अपरिवर्तनीय है कि जिस तरफ प्रार्थी की जमीन नहीं है तो ऐसी दशा में यह आवश्यक होगा कि प्रार्थी कम से कम 03 फुट जमीन अपनी भूमि में से उस तरफ अपने दरवाजे और खिड़की और रोशनदानों के लिये छोड़ेगा।

17. यदि नई आबादी बसाई गई तो उनके मकानों को दो लाइनों के बीच का फासला कम से कम 12 फुट होना चाहिये :

(अ) उपरोक्त के अधीन निर्माण कमेटी की रिपोर्ट आने पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उस पर विचार करेंगे और आदेश करेंगे, जो आज्ञा या अनुज्ञा समझी जायेगी, जिसकी एक प्रतिलिपि मय नक्शे के आवेदनकर्ता को दी जायेगी। यदि नक्शे में कोई संशोधन किया जायेगा तो वह लाल स्याही से किया जायेगा, जिसके अनुरूप ही आवेदनकर्ता अपना भवन निर्माण कर सकता है।

(ब) नव निर्माण की आज्ञा एक वर्ष तक लागू समझी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष बाद निर्माण करना चाहे तो उसका पुनः अनुमति लेनी होगी।

(स) भवन से सम्बन्धित पत्रावली बीस वर्ष तक रखी जायेगी। समय व्यतीत होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 185 व 198(1) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके कमेटी निर्देश करती है कि व्यक्ति, जो उपरोक्त उपनियमों के विपरीत चलेगा या चलाने में प्रोत्साहन देगा या कमेटी द्वारा दिये गये निर्देश से विपरीत चलेगा उस पर तीन हजार रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है, यदि अपराध लगातार जारी रहा तो प्रथम अपराध प्रमाणित होने के दिनांक से जब तक अपराध होना जारी रहे, अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो ₹ 100.00 प्रतिदिन कम से कम हो सकता है तथा तीन माह का कारावास भी हो सकता है।

एलम दास,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, हरिद्वार।

बीर सिंह बुदियाल,
प्रभारी अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिक नगर, हरिद्वार।

कार्यालय, नगर पंचायत, दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर)

01 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 627/सूचना/2015–16

उपविधियां

1. परिभाषा–

किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, दिनेशपुर की सीमान्तर्गत भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

(2) "प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, दिनेशपुर के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) "सीमा" से तात्पर्य नगर पंचायत, दिनेशपुर की उत्तर प्रदेश सरकार शहरी विकास अनुभाग–1, सं0 5181(1)टी/9–1–1983–26टी 79 लखनऊ, 10 सितम्बर, 1984 में घोषित सीमा से है।

(5) "निकाय" से तात्पर्य नगर पंचायत, दिनेशपुर से है।

(6) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 की उपधारा (2) के अभिदेश के अनुसार यह चाहती है कि निकाय की सीमान्तर्गत प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण की सूचना निम्न उपनियमों के अधीन निकाय को दी जाये।

3. भवन निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मुख्य परिवर्तन के विचार की सूचना निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार दी जायेगी, मानचित्र को डिग्री/डिप्लोमाधारी इंजीनियर, जिसका प्रदेश में पंजीकरण हो तथा सचिव उत्तराखण्ड शासन आवास विकास द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2269/ट/आ0–2007–55(आ0)/2006 टी0सी0, दिनांक 06 नवम्बर, 2007 (समय–समय पर संशोधित) में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मानचित्र तैयार किया जायेगा।

4. 1 मीटर के बराबर 1 सेन्टीमीटर पैमाने में मानचित्र तैयार किया जायेगा, जिसमें भवन की स्थिति तथा चित्रों के साथ तत्सम्बन्धी भवन का उत्तरी बिन्दु स्पष्ट रूप से दिखाया जायेगा, मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे। इस मानिचत्र में वह पूर्ण विवरण होगा, जिसमें निकाय प्रस्तावित भवन की उपयुक्तता पर विचार कर सकें। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण विशेष रूप से दिखाये जाने चाहिए–

(A) प्रस्तावित भवन को उससे मिलने वाली सड़कों, गलियों, दूसरे भवनों तथा जायदाद से सम्बन्धित स्थिति तथा मोहल्ला लिखना चाहिए, उसमें मिलने वाली गलियों और सड़कों की चौड़ाई भी लिखनी चाहिए, ऐसी दशा में जबकि सड़कों तथा गलियों की चौड़ाई एक सी न हो तो कम से कम चौड़ाई भी लिखनी चाहिए।

(B) समस्त कुओं, पानी की पाईप लाइनों, शौचालयों तथा अन्य सफाई व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई जाये।

(C) मानचित्र में निम्नलिखित बातें भी दिखाई जायें:–

(i) गृह, तालाब, भवन की स्थिति से सम्बन्धित सड़क या जायदाद और खाली पड़े स्थान।

(ii) पहली या ऊपरी सतह तथा प्रत्येक अतिरिक्त सतह।

(iii) मकान के मुख्य अगले भाग की कुर्सी।

(D) मानचित्र में समस्त नये काम प्रथम रंगों से दिखाई जाये और इनमें प्रयोगित रंगों की तालिका भी मानचित्र में होनी चाहिए।

(E) किसी भी भवन में संडास अथवा खुला शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. कोई शौचालय सार्वजनिक सड़क की ओर नहीं खुलने दिया जायेगा, जब तक कि 1.50 मीटर ऊँचा अतिरिक्त दरवाजा या 1.5 मीटर ऊँची दीवार इस स्थिति के साथ न बनाई जाये कि अतिरिक्त दरवाजा या दीवार द्वारा शौचालय से पर्दा न किया हो।

6. प्रत्येक शौचालय व मूत्रालय का फर्श जो पक्के मकान से सम्बन्धित हो, वह बिना चमकदार पालिश की हुई टॉयलों, पत्थरों, प्लेटों, पक्का सीमेन्ट, प्लास्टर अथवा न घुलने वाले मसाले से, जिनकी मोटाई 2 सेन्टीमीटर से कम न हो, नहीं बनाया जायेगा।

7. पक्के मकानों की नालियाँ, जिनमें होकर मकान का गन्दा पानी जाता है, वह पक्के मिट्टी के अथवा अर्द्धगोलाकार बर्तन से व सीमेन्ट से प्लॉस्टर की हुई ईंटों से बनाई जायेगी।

8. तंग गलियों में पक्के मकानों की खासी परनाले होंगे, या लोहे के परनाले या निचले नलों के परनाले होंगे, जिसमें बन्द होकर छत, छज्जों या अन्य प्रक्षेपणों का पानी निकाला जावे। लोहे के बन्द परनाले या निचले नल मजबूती के साथ लगवाये जायेंगे। जिसके निचले भाग में कोहनी होगी। चौड़ी सड़कों में उस सड़क पर प्रत्येक परनाले के नीचे पत्थर की शिला डाली जायेगी।

9. धारा 181 के संदर्भ में उल्लेखनीय अनुमति का कार्यकाल 01 वर्ष होगा तथा प्राप्त स्वीकृति की अवधि समाप्ति के पश्चात् कार्य नहीं किया जायेगा। जब तक दोबारा स्वीकृति के लिए आवेदन न किया गया हो।

10. स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी कार्य को जबकि उसका निर्माण किया जा रहा हो अथवा यह सूचना कि कार्य पूरा हो चुका है, प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर अथवा ऐसी सूचना न प्राप्त होने पर कार्य की समाप्ति के पश्चात् किसी क्षण भी निरीक्षण कर सकता है।

11. मानव निवास के लिए बनाया हुआ अथवा मानव निवास में प्रयुक्त होने वाले कमरे कम से कम 02 हवादार खिड़कियां होंगी, जिनका पूरा क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

12. जबकि मकान मानव निवास के काम आता हो तो उसकी भूमि के तिहाई क्षेत्रफल से अधिक पर मकान नहीं बनाया जायेगा किन्तु दो मंजिले मकान पर यह प्रतिबन्ध लागू न होगा।

13. मकान की कुर्सी का सबसे निचला भाग सामने वाली सड़क के सबसे ऊँचे बिन्दु से कम से कम 40 सेन्टीमीटर ऊँचा होगा और उसकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पानी बाहर जाने का प्रबन्ध होगा।

14. किसी सड़क, गली, गलियारे या मुहाने से भवन का अगला स्थान पूरी लम्बाई से कम से कम 1.25 मीटर खुला होगा। यदि वह सड़क, गलियां, गलियारे, किसी पार्क या विकास क्षेत्र को जाती हो तो वह स्थान 1.5 मीटर खुला होगा। इस स्थान पर सिवाये चबूतरा, मेहरा अथवा अन्य प्रक्षेपण के जो बाहरी हवा के लिए खुला रहे कुछ नहीं बनाया जायेगा।

15. निकाय के अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नई स्वीकृति को रद्द कर सकता है, संशोधन कर सकता है। यदि यह ज्ञात हो जाये कि स्वीकृति धोखे अथवा मिथ्या कथन के फलस्वरूप हो गई थी, तो ऐसा किया गया कार्य बिना स्वीकृति के किया गया कार्य समझा जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृति के रद्द करने अथवा संशोधन करने से पूर्व निकाय द्वारा सम्बद्ध पक्ष को सुनने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।

16. (अ) कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा, जब तक कि धारा 178 के अनुसार सूचना न दी हो तथा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निम्न शुल्क नगर पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया हो।

1. भवन का पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई परिवर्तन करने पर ₹ 15 प्रति वर्ग मीटर।

2. भूमि तल के बाद भवन निर्माण प्रति तल ₹ 22 प्रति वर्ग मीटर।

(ब) कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी व्यवसायिक/शैक्षिक/चिकित्सा संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधायें/औद्योगिक एवं अन्य विधिक प्रकार के पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा, जब तक कि धारा 178 के अनुसार सूचना न दी हो तथा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निम्न निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा न कर दिया हो।

(स) नव निर्माण जिसका तात्पर्य भवन निर्माण से है, में रजिस्ट्री की धनराशि का 2 प्रतिशत शुल्क विकास शुल्क के रूप में निकाय में जमा करना होगा। (ब) के अनुसार लागू रहेगा।

17. मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में–

(क) निम्नलिखित की एक फर्लांग के अर्द्धव्यास में है :–

1. कोई आवासीय संस्था : जो किसी भी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कॉलेज या लड़कियों के स्कूल से संलग्न हो या

2. कोई सार्वजनिक अस्पताल, जिसमें भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिए एक बड़ा कक्ष अथवा

3. कोई अनाथालय, जिसमें एक सौ या उससे अधिक व्यक्ति रहते हों, जो किसी घनी आबादी के ऐसे आवासीय क्षेत्र में हो, जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हों अथवा व्यापारिक प्रयोजनों में से घनी आवासीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित हों या सामान्यतः प्रयुक्त होता हो या किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी विधि के अधीन किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा अन्य प्रकार के आवासीय प्रायोजनों के लिए सुरक्षित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चल–चित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की आज्ञा उस समय तक नहीं दी जायेगी, जब तक निकाय को यह समाधान न हो जाये कि नक्शें तथा इसकी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में सिनेमा फोटोग्राफर ऐक्ट, 1916 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

18. निम्नलिखित शुल्क से मुक्त रहेंगें–

मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा (भवनों) का निर्माण इन से सम्बन्धित व्यवसायिक व अन्य धार्मिक स्थान व संस्थायें सम्मिलित नहीं होगीं।

दण्ड

धारा 299(1) म्यु0 ऐक्ट, 1916 नगर पंचायत, दिनेशपुर, ऊधमसिंह नगर, आदेश देती है कि इन उपनियमों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड, जो ₹ 10,000.00 (रु0 दस हजार) तक होगा, दिया जायेगा। यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा, जो पहले अपराध के दिनांक के पश्चात् ऐसे दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, ₹ 200.00 (रुपये दो सौ) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

संजीव मेहरोत्रा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, दिनेशपुर,
ऊधमसिंह नगर।

कावल सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, दिनेशपुर,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/304–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।